कार्यालय अध्यक्ष,नगर विकास न्यास एवं जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/99/2019

लोकेन्द्र कुमार पुत्र भगवत प्रसाद कमला रोड कुम्हेरगेट, भरतपुर

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 03.10.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट लोकेन्द्र कुमार पुत्र भगवत प्रसाद कमला रोड कुम्हेरगेट, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 8.8.2019 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /809 दिनांक 20.9.2019 से सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक प.(68)सूअ/2019/2885 दिनांक 26.9.2019 प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि चाही गई सूचना उपलब्ध कराने में गुरेज कर रहे हैं। अपीलांट द्वारा सूचना दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर ने अपने पत्र जबाब पत्र क्रमांक प.(68)सूअ/2019/2885 दिनांक 26.9.2019 में अंकित किया है कि बिन्दू संख्या 1 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है, बिन्दू संख्या–2 से सम्बन्ध पत्रावली तलाश की जा रही है, उपलब्ध होने पर सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। सूचना के बिन्दू संख्या 3 में चाही गई

सूचना की बाबत प्रार्थी को सूचना शुल्क जमा कराने हेतु पत्र कमांक/ 2813 दिनाक 29.8.2019 को लिखा गया है। प्रार्थी ने सूचना शुल्क जमा नहीं कराया गया है।

सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर से प्राप्त जबाब के साथ प्राप्त पत्रादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिन्दू संख्या 1 की सूचना न्यास द्वारा जरिये पत्र कमांक प्र (68) 2019/2881 दिनांक 26.9.19 से प्रेषित की गई है तथा बिन्दू संख्या–2 के सम्बन्ध में पत्रावली उपलब्ध होने पर सूचना उपलब्ध कराये जाने बाबत अपीलार्थी को सूचित किया गया है। जहॉ तक प्रश्न सूचना के बिन्दू संख्या 3 का है इस सम्बन्ध में अपीलार्थी न्यास द्वारा चाहा गया ृसूचना शुल्क राजकोष में जमा करा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना के बिन्दू संख्या 2 के सम्बन्ध में पत्रावली शीध्र तलाश कर अपीलार्थी को चाही गई सूचना निशुल्क उपलब्ध करावें।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (नगर विकास न्यास भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति के साथ) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को प्रेषित हो।

अध्यक्ष,नगर विकास न्यास
एवं जिला कलक्टर,
भरतपुर